

न्यायालय तहसीलदार कलमर (असम) राज.

सरकार जरीये रिपोर्ट पटवारी हलका मसरी वरम गुणाव पुत्र रामाखिलाडी
प्रकरण अन्तगत पत्र नं. १३३३ गण्डिया बुधर,

प्रकरण संख्या - RA 121/2018

निर्णय दिनांक 27/2/18

प्रवादली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि गण्डिया
की सं. १३३३ नं. 1325 कुल रकम 0-78 किताब जरीया 0.01 नं सं 0-01
रकम पर की गुणाव पुत्र रामाखिलाडी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
पञ्चमकान कब्जा कर लिया है। उस पर पटवारी हलका मसरी द्वारा दिनांक 16
पञ्चतरा 2018 को उक्तके विरुद्ध यानुनी वारंवारही क्रिये जाने की रिपोर्ट मय लई
मू.अ.निरी. दाराया के द्वारा प्रस्तुत क्रिये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर क्रिये
जाकर अतिक्रमी गुणाव 510 रामाखिलाडी गण्डिया बुधर तहसीली मसरी को सू-
राजसय अधिनियम 1956 की धारा 9: के तहत नोटिस जारी क्रिये गये मोटिल को दामिल
कराई गई। नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शानित समावली क्रिया गया। अतिक्रमी
उपस्थित आया। जदाक मोटिल पेश क्रिया जो शानित पत्रवली है।

उक्त रकम नधि 1225 रकम 0-78 नं सं 0.01
रकम के क्रिये पञ्चमकान के एक निगमन न लगे गयी है दिहाजा नौरसायम का अतिक्रमण
रकम से वेदखल क्रिया जाने के आदेश दिम जता न यह उण्ट स्वरुप जमान 2 Paise का
50 गुणा 5/- रकम पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी तसूली एवं वेदखली हेतु हलका पटवारी मसरी मू.अ.निरी. दाराया
दाराया को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार
कलमर (असम) राज.

अतिरिक्त - प. ६

दा. नि. सं. ६ के ५८ वं 40 फर 11
नं. 2018-19 तहसीली कारी क 5/-
की कायमी को गई
[Signature]
12/3/19
तहसीलदार कलमर (असम) राज.